रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2008.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 4 अक्तूबर, 2008 / 12 आश्विन, 1930

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला–2, 3 अक्तूबर, 2008

संख्या एल0एल0आर0–डी0(6)–15 / 2008 लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 30–09–2008 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2008 (2008 का विधेयक

संख्यांक 13) को वर्ष 2008 के अधिनियम संख्यांक 15 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
अवतार चन्द डोगरा,
सचिव।

2008 का अधिनियम संख्यांक 15

हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2008

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 30 सितम्बर, 2008 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्यांक 14) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम।**

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2008 है । संक्षिप्त नाम।

2. हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1996 की धारा 17 में, – धारा 17 का संशोधन।

(क) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:–

"(4) निधि का प्रत्येक सदस्य प्रत्येक वर्ष के 30 जून को या इससे पूर्व निधि में वार्षिक अभिदाय निम्नलिखित दरों पर संदत्त करेगा, अर्थात् :–

जहां अधिवक्ता के रूप में दस वर्ष से कम की अवस्थिति है	दो सौ रूपये ;
जहां अधिवक्ता के रूप में दस वर्ष या अधिक की अवस्थिति है	चार सौ रूपये :

परन्तु निधि का सदस्य अपने विकल्प पर प्रवेश के समय पांच हजार रुपये के आजीवन अभिदान का एक मुश्त संदाय कर सकेगा :

परन्तु यह और कि निधि का विद्यमान सदस्य भी अपने विकल्प पर निधि की अपनी सदस्यता को, हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2008 के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी शेष राशि का संदाय कर, जिससे कि उसके लेखे में कुल जमा राशि पांच हजार रुपये हो जाए, आजीवन सदस्यता में बदल सकता है।''; और

(ख) उपधारा (5) में अकों और शब्दों "31 मार्च" के स्थान पर "30 जून" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEST

Act No. 15 of 2008.

THE HIMACHAL PRADESH ADVOCATES WELFARE FUND (AMENDMENT) ACT, 2008

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 30TH SEPTEMBER, 2008)

AN

ACT

*further to amend the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1996(Act No. 14 of 1996)***.**

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows **:—**

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund (Amendment) Act, 2008. Short title.

2. In section 17 of the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1996,- Amendment of section 17.

(a) for sub-section(4), the following sub-section shall be substituted, namely :-

"(4) Every member of the Fund shall pay an annual subscription to the Fund on or before 30th June of every year at the following rates, namely:-

Where the standing of the Advocate at the Bar is less than ten years	Two hundred rupees;
Where the standing of the Advocate at the Bar is ten years or more	Four hundred rupees:

Provided that a Member of the Fund may at his option make one time payment of life subscription of five thousand rupees at the time of the admission :

Provided further that the existing Member of the Fund may also at his option convert his membership of the Fund into life membership by making payment of the balance amount so as to credit to his account total sum of five thousand rupees within a period of two years from the date of commencement of the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund (Amendment) Act, 2008."; and

(b) in sub-section (5), for the figures and words "31st March", the figures and words "30th June" shall be substituted.

शिमला–2, 3 अक्तूबर, 2008

संख्या एल0एल0आर0–डी0(6)–16 / 2008–लेज़.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 30–09–2008 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित और लम्बित मामलों तथा आवेदनों का अन्तरण) विधेयक, 2008 (2008 का विधेयक संख्यांक 14) को वर्ष 2008 के अधिनियम संख्यांक 14 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
अवतार चन्द डोगरा,
सचिव।

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित और लम्बित मामलों तथा आवेदनों का अन्तरण) अधिनियम, 2008

धाराओं का क्रम

धाराएं :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. परिभाषाएं।
3. लम्बित और निपटाए गए मामलों और आवेदनों का अन्तरण।
4. पक्षकारों को मामलों के अन्तरण की सूचना।
5. नियम बनाने की शक्ति ।
6. 2008 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्ति।

2008 का अधिनियम संख्यांक 14

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित और लम्बित मामलों तथा आवेदनों का अन्तरण) अधिनियम, 2008

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 30 सितम्बर, 2008 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण, जिसे भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्याः जी0एस0आर0–1045 (ई), तारीख 26 अगस्त, 1986 को विखण्डित करते हुए, अधिसूचना संख्याः जी0एस0आर0–505 (ई), तारीख 08 जुलाई, 2008 द्वारा समाप्त कर दिया गया है, द्वारा विनिश्चित मामलों और इसके समक्ष लम्बित आवेदनों को अन्तरित करने का उपबन्ध करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित और लम्बित मामलों तथा आवेदनों का अन्तरण) अधिनियम, 2008 है।

(2) यह 08 जुलाई, 2008 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "आवेदन" से प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 19 के अधीन किया गया आवेदन अभिप्रेत है; और 1985 का 13

(ख) "अधिकरण" से प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण और उसकी न्यायपीठें अभिप्रेत हैं।

लम्बित और निपटाए गए मामलों और आवेदनों का अन्तरण।

3. (1) कोई भी वाद या मामला या अन्य कार्यवाही जिसे किसी सिविल न्यायालय द्वारा अन्तरित किया गया था और जिसे अधिकरण द्वारा विनिश्चित किया गया था या जो अधिकरण के समक्ष इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को लंबित है, उसी सिविल न्यायालय को वापस अन्तरित हो जाएगा

जिससे यह अन्तरित किया गया था और यदि ऐसा न्यायालय विद्यमान नहीं है तो इसके स्थान पर सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय को अन्तरित हो जाएगा और ऐसा न्यायालय इसका निपटारा करने के लिए कार्यवाही करेगा मानो कि यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन एक वाद था। 1908 का 5

(2) प्रत्येक कार्यवाही जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अधिकरण को अन्तरित किया गया था और जिसे अधिकरण द्वारा विनिश्चित किया गया था या जो अधिकरण के समक्ष इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को लम्बित है, उच्च न्यायालय को वापस अन्तरित हो जाएगी।

(3) मामले की प्रत्येक कार्यवाही, जो मूल आवेदन के रूप में अधिकरण में दाखिल की गई थी और जिसे अधिकरण द्वारा विनिश्चित किया गया है या जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को उपरोक्त अधिकरण के समक्ष लम्बित है, उच्च न्यायालय को अन्तरित की जाएगी।

(4) जहां उपधारा (1), (2) या (3) के अधीन कोई भी मामला या कार्यवाही अधिकरण से उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय को अन्तरित हो जाती है तो,–

(क) ऐसे मामलों या कार्यवाहियों के अभिलेख, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या सम्बद्ध सिविल न्यायालय को भेज दिए जाएंगे; और

(ख) यथास्थिति, उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय, ऐसे अभिलेख की प्राप्ति पर मामले का, उस प्रक्रम से जिस पर वह इस प्रकार अन्तरित किए जाने से पूर्व था या किसी पूर्वतर प्रक्रम से जैसा उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय उचित समझे निपटारा करने के लिए आगे कार्यवाही कर सकेगा।

(5) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को अधिकरण के समक्ष लम्बित अंतिम आदेश या अन्तरिम आदेश के अवमान, निष्पादन या पुनर्विलोकन से सम्बन्धित प्रत्येक कार्यवाही, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय को अन्तरित हो जाएगी।

पक्षकारों को मामलों के अन्तरण की सूचना।

4. धारा 3 के अधीन, आवेदनों या कार्यवाहियों के अन्तरण के पश्चात्, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या सम्बद्ध सिविल न्यायालय यथाशीघ्र पक्षकारों या उनके काउंसेल को तद्नुसार सूचित करेगा।

नियम बनाने की शक्ति।

5. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर कम से कम दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया हो, या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

2008 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्ति।

6. (1) हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित और लम्बित मामलों तथा आवदेनों का अन्तरण) अध्यादेश, 2008 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH ADMINISTRATIVE TRIBUNAL (TRANSFER OF DECIDED AND PENDING CASES AND APPLICATIONS) ACT, 2008.

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections :

1. Short title and commencement.

2. Definitions.

3. Transfer of pending and disposed of cases and applications.

4. Intimation of transfer of cases to the parties.

5. Power to make rules.

6. Repeal of H.P. Ordinance No. 2 of 2008 and saving.

Act No. 14 of 2008.

THE HIMACHAL PRADESH ADMINISTRATIVE TRIBUNAL (TRANSFER OF DECIDED AND PENDING CASES AND APPLICATIONS) ACT, 2008.

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 30TH SEPTEMBER, 2008)

AN

ACT

to provide for the transfer of decided cases and pending applications before the Himachal Pradesh Administrative Tribunal which has been abolished by the Government of India vide Notification No. G.S.R.505(E), dated 8th July, 2008 by rescinding the Notification No. G.S.R. 1045(E), dated 26th August, 1986.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commence-ment.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (transfer of decided and pending cases and applications) Act, 2008.

(2) It shall be deemed to have come into force on 8th July, 2008.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "application" means an application made under section 19 of the Administrative Tribunals Act, 1985; and

(b) "Tribunal" means the Himachal Pradesh Administrative Tribunal and Benches thereof established under sub-section (2) of section 4 of the Administrative Tribunals Act, 1985. 13 of 1985.

Transfer of pending and disposed of cases and applications.

3. (1) Any suit or case or other proceeding which was transferred by any civil court and decided by the Tribunal or is pending on the date of commencement of this Act, before the Tribunal shall stand transferred back to the same civil court from which it was transferred and in case such court is

not in existence then to the court of competent jurisdiction in its place and such court shall proceed to dispose of the same as if it was a plaint under the 5 of 1908. Code of Civil Procedure, 1908.

(2) Every proceeding which was transferred by the High Court to the Tribunal and decided by the Tribunal or is pending on the date of commencement of this Act, before the Tribunal shall stand transferred back to the High Court.

(3) Every proceeding of a case which was filed as an original application in the Tribunal and decided by the Tribunal or is pending on the date of commencement of this Act, before the said Tribunal shall stand transferred to the High Court.

(4) Where any case or proceeding stands transferred from the Tribunal to the High Court or civil court under sub-section (1), (2) or (3), —

(a) the records of such cases or proceedings shall be forwarded to the High Court or the concerned civil court, as the case may be; and

(b) the High Court or the civil court, as the case may be, on receipt of such record, proceed to deal with the case from the stage which was reached before such transfer or from any earlier stage as the High Court or the civil court may deem fit.

(5) Every proceeding relating to contempt, execution or review of final order or interim order pending before the Tribunal on the date of commencement of this Act, shall stand transferred to the High Court or the civil court, as the case may be.

Intimation of transfer of cases to the parties.

4. As soon as after the transfer of applications or proceedings under section (3), the High Court or the civil court concerned, as the case may be, shall intimate the parties and their counsel accordingly.

Power to make rules.

5. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act, shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly while it is in session for a total period of not less than ten days which may comprised in one session or in two or more successive session and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rules should not be made, the rule shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

Repeal of H.P. Ordinance No. 2 of 2008 and saving.

6. (1) The Himachal Pradesh Administrative Tribunal (transfer of decided and pending cases and applications) Ordinance, 2008 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal , anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA

NOTIFICATIONS

Shimla, the 2*nd September,* 2008

No.HHC/Admn.6(23)/74–XIII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 1.26 of H.P. Financial Rules, 1971, Volume-I, is pleased to declare the Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC (I), Una as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Sr. Division)-cum-CJM, Una and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of class- II, III and IV establishments attached to the aforesaid Courts under head "2014 - Administration of Justice" during the leave period of Shri R.K.Verma *w.e.f.* 3-9-2008 to 12-9-2008 with permission to suffix second Saturday and Sunday 13-9-2008 and 14-9-2008, or till he returns from leave.

Shimla, the 26*th August,* 2008

No.HHC/Admn.6 (23)/74-XIII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 1.26 of H.P. Financial Rules, 1971, Volume-I, is pleased to declare the Civil

Judge (Sr. Divn.)-*cum*-CJM, Nahan as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of District & Sessions Judge/Addl. District & Sessions Judge, Nahan and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of class- II, III and IV establishment attached to the aforesaid Court under head "2014-Administration of Justice" during the training course/leave period of Shri V. K. Gupta, District and Sessions Judge, Nahan *w.e.f.* 29-8-2008 to 3-9-2008 or till he returns from leave.

———————

Shimla, the 2*nd September,* 2008

No.HHC/Admn.6 (23)/74-XIII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 1.26 of H.P. Financial Rules, 1971, Volume-I, is pleased to declare the Civil Judge(Sr. Divn.)-*cum*-CJM, Bilaspur as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Jr.Division)-*cum*-JMIC, Bilaspur, and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of class II, III to IV establishment attached to the aforesaid court under head "2014 Administration of Justice during the absence of Shri Sidharth Sarpal from the headquarters.

———————

Shimla, the 4*th September,* 2008

No.HHC/Admn.6 (23)/74-XIII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 1.26 of H.P. Financial Rules, 1971, Volume-I, is pleased to declare the Civil Judge (Jr. Divn.)-*cum*-JMIC (II), Sundernagar as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Sr. Divn.)-*cum*-ACJM, Sundernagar and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of class-II, III and IV establishment attached to the aforesaid Court under head "2014 Administration of Justice" during the leave period of Shri Bhupesh Sharma, *w.e.f.* 29-9-2008 to 4-10-2008 with permission to prefix Sunday falling on 28-9-2008 and to suffix Sunday and Dussehra holidays falling on 5-10-2008 to 12-10-2008 or till he returns from leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

———————

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 3*rd October,* 2008

No. UD-A(1)-2/2006-Sarkaghat.—In exercise of the powers vested in him under sub Section (2) of Section 27 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) read

with sub-rule (6) of rule 7, rule 8 and rule 9 of the Himachal Pradesh Municipal (Reservation and Election to the office of President/Vice President) Rules, 1995, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify in the official gazette the election of Vice-President in respect of Nagar Panchayat Sarkaghat as under:—

Name & Address of Elected Vice- President :
Smt. Promila Devi Sharma W/o Sh. Ashok Kumar
R/o Vill. Ram Nagar Ward No. 2, P.O. &
Teh. Sarkaghat, Distt. Mandi

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित